



Neutral Citation No. – 2026:AHC:126976

आरक्षित

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या – 36218 वर्ष 2025

मनोज

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

: पंकज शर्मा, प्रशांत शर्मा, शुभम सिंह

विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या – 5

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत शर्मा, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री अखिलेश कुमार मिश्रा को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत यह आवेदन दिनांक 08.09.2021 के आरोप-पत्र, दिनांक 05.10.2021 के संज्ञान/समन आदेश तथा वाद संख्या 1006 वर्ष 2021 (राज्य बनाम मनोज), जो वाद अपराध संख्या 148 वर्ष 2019 से उद्भूत है, धारा 120-बी, 406, 420, 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता, थाना

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



धौलाना, जनपद हापुड़ के अंतर्गत, विद्वान अपर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग), द्वितीय, हापुड़ के न्यायालय में लंबित संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि विपक्षी संख्या 2 प्रदीप ने आवेदक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, जो संबंधित न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर पारित आदेश के अनुपालन में वाद अपराध संख्या 148 वर्ष 2019, धारा 120-बी, 406, 420, 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता, थाना धौलाना, जनपद हापुड़ में पंजीकृत की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार, वर्ष 2015-2016 के आसपास आवेदक ने उसे अपने गांव महमूदपुर बुलाया और जमानतदार बनने का अनुरोध किया तथा हरेंद्र प्रधान, नकुल और संजू ने सूचनाकर्ता से कहा कि उसकी आवेदक मनोज से जान-पहचान है। इस विश्वास में उन्होंने विभिन्न विभागों, जैसे सेना, भारतीय खाद्य निगम, रेलवे आदि में नौकरी लगवाने के लिए मनोज को कुल 21,50,000 रुपये दिए थे। यह भी कहा गया है कि प्रथम सूचनाकर्ता स्वयं भी बेरोजगार था, इसलिए उसने अपने लिए नौकरी लगवाने हेतु मनोज को 11,10,000 रुपये दिए। इस प्रकार, उसके तथा अन्य व्यक्तियों के लिए नौकरी की व्यवस्था कराने के नाम पर मनोज द्वारा कुल 32,60,000 रुपये लिए गए। आगे आरोप है कि मनोज उनके लिए नौकरी की व्यवस्था करने में असफल रहा। जब प्रथम सूचनाकर्ता अन्य तीन व्यक्तियों के साथ मनोज के गांव गया, तो उसे ज्ञात हुआ कि वह अन्य व्यक्तियों को नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी तथा धन के आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध करने के कारण जेल में बंद है। उसके रिश्तेदारों ने आश्वासन दिया कि जेल से रिहा होने के बाद मनोज उनके पैसे वापस कर देगा, किंतु कोई धनराशि वापस नहीं की गई और मांग करने पर मनोज ने प्रथम सूचनाकर्ता को जान से मारने की धमकी दी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. आगे यह आरोप लगाया गया है कि दूसरी ओर हरेंद्र प्रधान, नकुल और संजू प्रथम सूचनाकर्ता को उनके धन की वापसी के लिए लगातार परेशान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने प्रथम सूचनाकर्ता की जमानत पर मनोज को धन दिया था। यह कहा गया है कि स्वयं को बचाने के लिए प्रथम सूचनाकर्ता ने अपनी संपत्ति बेच दी और उन्हें आंशिक भुगतान किया, इसके बावजूद नकुल, संजू और अन्य द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है। प्रथम सूचनाकर्ता उनके धन का जमानतदार था और वह धनराशि मासिक किस्तों में वापस करने वाला था, किंतु इसके बावजूद उसे परेशान किया जा रहा है। फलतः यह आरोप लगाया गया है कि मनोज ने प्रथम सूचनाकर्ता को नौकरी दिलाने के झूठे बहाने से उसके साथ धोखाधड़ी की।

4. उक्त सूचना के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात आवेदक मनोज के विरुद्ध धारा 120-बी, 406, 420, 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप-पत्र दाखिल किया गया। संबंधित न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लेते हुए आवेदक को विचारण का सामना करने हेतु समन किया।

5. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अन्वेषण निष्पक्ष, निष्पक्षतापूर्ण एवं समुचित ढंग से नहीं किया गया तथा आक्षेपित संज्ञान एवं समन आदेश यांत्रिक रूप से और न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना पारित किया गया है, जो पूर्णतः अवैध एवं मनमाना है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि उच्चतम न्यायालय के **दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2024 (10) एस.सी.सी. 690** के निर्णय के अनुसार, समान तथ्यों के आधार पर धारा 406 और 420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि दोनों अपराध एक-दूसरे से भिन्न हैं। अतः आक्षेपित संज्ञान एवं समन आदेश विधि की दृष्टि से पोषणीय नहीं है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग चार वर्ष के विलंब के बाद बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के दर्ज कराई गई है और ऐसा दर्शाने वाला कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है कि प्रथम सूचनाकर्ता ने आवेदक के खाते में कोई ऑनलाइन भुगतान किया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठे एवं मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर दर्ज कराई गई है। यह तर्क दिया गया कि आवेदक ने प्रथम सूचनाकर्ता से अपने लिए नौकरी लगवाने का अनुरोध किया था क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और प्रथम सूचनाकर्ता ने ही आवेदक से 5,00,000 रुपये की मांग की थी, जिस पर आवेदक ने उसे 2,00,000 रुपये इस आश्वासन के साथ दिए थे कि शेष राशि नौकरी लगने के बाद दी जाएगी। यह प्रस्तुत किया गया कि वास्तव में प्रथम सूचनाकर्ता ने ही कई व्यक्तियों से नौकरी दिलाने के आश्वासन पर धन लिया था और जब आवेदक ने उससे अपनी धनराशि वापस मांगी, तो प्रथम सूचनाकर्ता ने उसे आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी दी।

7. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि वास्तव में प्रथम सूचनाकर्ता ने ही हरेंद्र, नकुल और संजू से सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने धन लिया था। आवेदक ने न तो उक्त व्यक्तियों से कोई ऐसी धनराशि प्राप्त की है और न ही, जैसा कि आरोप लगाया गया है, कोई दस्तावेज कूटरचित किया है। विवाद मूलतः दीवानी प्रकृति का है और आवेदक पर अनुचित दबाव डालने के दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से उसे आपराधिक रंग दिया गया है। अतः आवेदक के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही जारी रखना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

8. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सही तथ्यों के आधार पर दर्ज की गई है और यह आवेदक ही है जिसने प्रथम सूचनाकर्ता तथा अन्य व्यक्तियों के साथ सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का अपराध किया है। आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के विरुद्ध दिनांक 10.07.2023 को आरोप विरचित किए जा चुके हैं और मामला अभियोजन साक्ष्य के चरण में है। अतः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 221

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(बी.एन.एस.एस. की धारा 244 के समतुल्य) के दृष्टिगत उच्चतम न्यायालय का **दिल्ली रेस क्लब** (उपर्युक्त) का निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं होता। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा अपराध किए जाने के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, इसलिए वर्तमान आवेदन में कोई बल नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

9. दोनों पक्षों की प्रस्तुतियों के आलोक में तथा अभिलेख के परिशीलन पर यह स्पष्ट है कि अन्वेषण के पश्चात आवेदक के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है। आवेदक की ओर से पहला तर्क यह है कि विवाद मूलतः दीवानी प्रकृति का है और आवेदक पर अनुचित दबाव डालने के दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से उसे आपराधिक रंग दिया गया है।

10. मैं आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की उपर्युक्त दलील से सहमत नहीं हूँ। आवेदक के विरुद्ध आरोप यह है कि प्रथम सूचनाकर्ता तथा अन्य व्यक्तियों से उन्हें सरकारी नौकरी दिलाने का झूठा आश्वासन देकर धनराशि प्राप्त की गई और जब उन्होंने अपनी धनराशि वापस मांगी, तब उन्हें धमकी दी गई। ऐसे आरोप प्रथम दृष्टया यह दर्शाते हैं कि विवाद पूर्णतः दीवानी प्रकृति का नहीं है, बल्कि उसमें आपराधिक तत्व भी विद्यमान है।

11. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचनाकर्ता स्वयं भी कथित अपराध के किए जाने में संलिप्त है, क्योंकि उसने भी धनराशि प्राप्त की थी तथा हरेंद्र, नकुल और संजू के लिए जमानतदार बना था और अन्वेषण अधिकारी ने केवल आवेदक के विरुद्ध झूठा आरोप-पत्र दाखिल किया है। आवेदक ने नकुल, हरेंद्र और संजू के उन बयानों को दाखिल किया है, जो अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए थे। इस कार्यवाही में इन बयानों की जांच एवं मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना लघु विचारण करने के समान होगा। किंतु प्रथम दृष्टया आवेदक के विरुद्ध आरोप यह है कि उसे धनराशि दी गई थी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



और उसने एक पीड़ित का फर्जी चिकित्सीय परीक्षण कराया तथा उसके पश्चात उसे कूटरचित नियुक्ति-पत्र उपलब्ध कराया, जबकि दूसरे व्यक्ति से पुलिस सत्यापन पूरा होने तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया और तत्पश्चात उसके भाई को सेवा में सम्मिलित होने के लिए बुलाया जाना था।

12. यह न्यायालय, बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत इस कार्यवाही में साक्ष्यों का मूल्यांकन एवं परीक्षण करने के लिए अपेक्षित नहीं है, क्योंकि ऐसा करना लघु विचारण करने के समान होगा, जो विधि में अनुमन्य नहीं है। अतः अपराध के किए जाने में प्रथम सूचनाकर्ता की कोई भूमिका, यदि कोई हो, तो उसका परीक्षण विचारण न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान किया जा सकता है और केवल इस आधार पर आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही को निरस्त नहीं किया जा सकता।

13. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित संज्ञान एवं समन आदेश विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण है, क्योंकि आवेदक को भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के साथ-साथ धारा 406 और 420 के अंतर्गत भी समन किया गया है, जबकि उच्चतम न्यायालय द्वारा **दिल्ली रेस क्लब** (उपर्युक्त) के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार, समान तथ्यों के आधार पर धारा 406 और 420 भारतीय दंड संहिता के अपराध एक साथ नहीं चल सकते।

14. **दिल्ली रेस क्लब** (उपर्युक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त मामला परिवाद वाद से उत्पन्न हुआ था, जिसमें अभियुक्त को धारा 406 और 420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए समन किया गया था। अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष समन एवं संज्ञान आदेश को चुनौती दी थी, जिसे उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया था। तत्पश्चात अभियुक्त ने उच्चतम न्यायालय का

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



दरवाजा खटखटाया, जहां उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आपराधिक न्यासभंग और धोखाधड़ी के अपराधों के तत्व अलग-अलग हैं और समान तथ्यों के आधार पर दोनों अपराध एक साथ नहीं चल सकते।

15. दिल्ली रेस क्लब (उपर्युक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रासंगिक परिच्छेद संख्या 41, 42 एवं 43 निम्नवत हैं:

“41. मात्र संविदा के उल्लंघन तथा आपराधिक न्यासभंग और धोखाधड़ी के अपराध के बीच अंतर बहुत सूक्ष्म है। धोखाधड़ी के मामले में अभियुक्त की प्रेरित करते समय की मंशा पर विचार किया जाना चाहिए, जिसका निर्धारण उसके बाद के आचरण से किया जा सकता है, किंतु इसके लिए बाद का आचरण ही एकमात्र कसौटी नहीं है। मात्र संविदा का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन का आधार नहीं बन सकता, जब तक कि लेन-देन के प्रारंभ से ही, अर्थात् उस समय जब अपराध किया जाना कहा गया है, कपटपूर्ण या बेईमानी की मंशा प्रदर्शित न हो। अतः यही मंशा अपराध का सार है।

42. जबकि आपराधिक न्यासभंग के लिए संपत्ति अभियुक्त को सौंपी गई होनी चाहिए अथवा उस पर उसका नियंत्रण होना चाहिए। जिस संपत्ति के संबंध में न्यासभंग का अपराध किया गया है, वह अभियुक्त के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति होनी चाहिए अथवा उसमें हित या स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति का होना चाहिए। अभियुक्त को ऐसी संपत्ति उस अन्य व्यक्ति के न्यास पर धारण करनी चाहिए। यद्यपि न्यासभंग और धोखाधड़ी के अपराधों में बेईमानी की मंशा सम्मिलित होती है, फिर भी दोनों मूल अवधारणा की दृष्टि से परस्पर अपवर्जी और भिन्न हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



43. आपराधिक न्यासभंग और धोखाधड़ी के बीच अंतर है। धोखाधड़ी के लिए झूठा या भ्रामक अभ्यावेदन किए जाने के समय, अर्थात् प्रारंभ से ही, आपराधिक मंशा आवश्यक है। आपराधिक न्यासभंग में केवल संपत्ति के न्यस्त किए जाने का प्रमाण पर्याप्त है। इस प्रकार, आपराधिक न्यासभंग के मामले में अपराधी को संपत्ति विधिपूर्वक सौंपी जाती है और वह उसका बेईमानी से दुर्विनियोग करता है। जबकि धोखाधड़ी के मामले में अपराधी किसी व्यक्ति को छलपूर्वक धोखा देकर किसी संपत्ति को देने के लिए कपटपूर्ण या बेईमानी से प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में दोनों अपराध एक साथ विद्यमान नहीं हो सकते।”

16. वर्तमान मामले में आरोप दिनांक 10.07.2023 को पहले ही विरचित किए जा चुके हैं और मामला अभियोजन साक्ष्य के चरण में है। इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 221 (बी.एन.एस.एस. की धारा 244 के समतुल्य) प्रासंगिक है, जो आरोप विरचित किए जाने के चरण में लागू होती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 221 (बी.एन.एस.एस. की धारा 244 के समतुल्य) निम्नवत है:—

221. यह संदिग्ध होने पर कि कौन-सा अपराध किया गया है।

(1) यदि कोई एक कार्य या कार्यों की श्रृंखला ऐसी प्रकृति की हो कि यह संदिग्ध हो कि सिद्ध किए जा सकने वाले तथ्यों से अनेक अपराधों में से कौन-सा अपराध गठित होगा, तो अभियुक्त पर उन सभी या उनमें से किसी अपराध को किए जाने का आरोप लगाया जा सकता है और ऐसे आरोपों की संख्या कितनी भी हो, उनका एक साथ विचारण किया जा सकता है; अथवा उस पर वैकल्पिक रूप से उनमें से किसी एक अपराध को किए जाने का आरोप लगाया जा सकता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(2) यदि ऐसे मामले में अभियुक्त पर किसी एक अपराध का आरोप लगाया गया हो और साक्ष्य से यह प्रतीत हो कि उसने कोई भिन्न अपराध किया है, जिसके लिए उपधारा (1) के प्रावधानों के अंतर्गत उस पर आरोप लगाया जा सकता था, तो उस अपराध के लिए, जो उसके द्वारा किया जाना सिद्ध होता है, उसे दोषसिद्ध किया जा सकता है, यद्यपि उस अपराध के लिए उस पर आरोप नहीं लगाया गया था।

दृष्टांत

(क) क पर ऐसे कार्य का आरोप है जो चोरी, चोरी की संपत्ति प्राप्त करना, आपराधिक न्यासभंग अथवा धोखाधड़ी में से किसी अपराध के अंतर्गत आ सकता है। उस पर चोरी, चोरी की संपत्ति प्राप्त करने, आपराधिक न्यासभंग और धोखाधड़ी के लिए आरोप लगाया जा सकता है अथवा उस पर चोरी, चोरी की संपत्ति प्राप्त करने, आपराधिक न्यासभंग या धोखाधड़ी में से किसी एक अपराध को किए जाने का आरोप लगाया जा सकता है।

17. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 221 (बी.एन.एस.एस. की धारा 244 के समतुल्य) का शीर्षक “यह संदिग्ध होने पर कि कौन-सा अपराध किया गया है” से प्रारंभ होता है और इसकी उपधारा (1) में प्रावधान है कि यदि कोई एक कार्य या कार्यों की श्रृंखला ऐसी प्रकृति की हो कि यह संदिग्ध हो कि सिद्ध किए जा सकने वाले तथ्यों से अनेक अपराधों में से कौन-सा अपराध गठित होगा, तो अभियुक्त पर उन सभी या उनमें से किसी अपराध को किए जाने का आरोप लगाया जा सकता है और ऐसे आरोपों की संख्या कितनी भी हो, उनका एक साथ विचारण किया जा सकता है; अथवा उस पर वैकल्पिक रूप से उक्त अपराधों में से किसी एक को किए जाने का आरोप लगाया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 221 का दृष्टांत (क) इस संबंध में प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें “धोखाधड़ी”

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



और “आपराधिक न्यासभंग” के अपराध भी सम्मिलित हैं। अतः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 221 (बी.एन.एस.एस. की धारा 244 के समतुल्य) के दृष्टिगत, आरोप विरचित किए जाने के चरण में, यदि तथ्यों से यह संदिग्ध हो कि कौन-सा अपराध किया गया है, तो न्यायालय धारा 406 और 420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक साथ अथवा वैकल्पिक रूप से आरोप विरचित कर सकता है। अब जबकि आरोप विरचित किए जाने का चरण समाप्त हो चुका है और वर्तमान में मामला अभियोजन साक्ष्य दर्ज किए जाने के चरण में है तथा **दिल्ली रेस क्लब** (उपर्युक्त) के मामले में कार्यवाही आरोप विरचित किए जाने के चरण तक नहीं पहुंची थी, इसलिए उच्चतम न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 221 (बी.एन.एस.एस. की धारा 244 के समतुल्य) में निहित प्रावधानों की प्रयोज्यता और प्रभाव पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी।

18. इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा विकाश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 1381 वर्ष 2026, दिनांक 28.03.2026 में दिए गए हाल के निर्णय में यह विधिक प्रश्न विचारणार्थ आया कि क्या दिल्ली रेस क्लब (उपर्युक्त) के निर्णय के आलोक में धारा 406 और 420 भारतीय दंड संहिता का एक साथ लगाया जाना कार्यवाही को त्रुटिपूर्ण बना देता है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 221 (बी.एन.एस.एस. की धारा 244 के समतुल्य) के दृष्टिगत, यदि धारा 420 और 406 भारतीय दंड संहिता का एक साथ प्रयोग किया गया है, तो केवल इस आधार पर कार्यवाही त्रुटिपूर्ण नहीं होगी। हाल ही में भीम सैन अरोड़ा बनाम राज्य, 2025 डी.एच.सी. 7379 के एक अन्य मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि विधिक स्थिति यह है कि किसी व्यक्ति को धारा 409 और 420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए एक साथ दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। तथापि, आरोप के बिंदु पर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विचार करते समय, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 221 के दृष्टिगत विचारण न्यायालय दोनों धाराओं के अंतर्गत आरोप विरचित करने के लिए आगे बढ़ सकता है।

19. उपर्युक्त विवेचना के दृष्टिगत तथा इस मामले की वर्तमान अवस्था को देखते हुए, उच्चतम न्यायालय का **दिल्ली रेस क्लब** (उपर्युक्त) में दिया गया निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता।

20. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट चार वर्ष के विलंब के पश्चात विलंब के संबंध में कोई स्पष्टीकरण दिए बिना दर्ज कराई गई है, इसलिए कार्यवाही विधि की दृष्टि से पोषणीय नहीं है। चूंकि इस प्रश्न पर साक्ष्य के परीक्षण की आवश्यकता है, जो वर्तमान कार्यवाही में अनुमन्य नहीं है, अतः यह प्रश्न इस कार्यवाही में प्रासंगिक नहीं है।

21. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि वर्तमान आवेदन गुण-दोष से रहित है और तदनुसार इसे **निरस्त** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार)

12 जून, 2026

शुभम

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”